कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर म.प्र.

दूरभाष 07582–222206 E mail eepwdnhsagar768@gmail.com

ज्ञाप क्र0 / 1352 / व.ले.लि. / 2024–25 सागर दिनांक 19.06.2024

प्रति,

क्षेत्र संचालक
पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। **(FP/MP/ROAD/121709/2021)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रं. एम.पी.आर. 011 / 2023–बीएचओ / 74374 दिनांक 18.06.2024

————————

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि **गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक–5 कि0मी0 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग** का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु एजेंसी नियुक्त हो गई है, एवं अनुबंध भी संपादित हो गया है।

उक्त चौडीकरण कार्य हेतु पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकरण क्रं. FP/MP/ROAD/121709/2021 प्रचलन मे है। जिसके अनुसार केम्पा मद् मे राशि जमा करने उपरांत वन भूमि उपयोग पर दी जानी थी।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार लेख कर वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। जिस हेतु कार्यवाही प्रचलन मे है, जो कि शीघ्र पूर्ण करा ली जावेगी।

1. Since the area proposed for diversion is revised to 44.05 ha. after addition of the area of existing carriage way, the revised KML for the area proposed for diversion i.e. 44.05 ha. is hereby submitted for uploading in online portal accordingly.
2. In view of guideline dated 27.12.2023 compensatory afforestation on equivalent non-forest land shall be submitted to the Regional Office, Bhopal along with the compensatory afforestation scheme, suitability certificate, and certificate of non-encumbrances, digital map and the KML of the area within a short period as this proses will take time. Hence it is requested that Stage-I permission may please be accorded in anticipation of clearance of proposal.
3. Clearance from SCNBWL is awaited from the board.

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के विषयांकित उक्त खण्ड हेतु अनुबंध प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार वन भूमि / वनक्षेत्र मे कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य समय सीमा मे पूर्ण किया जा सके।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

(पंकज व्यास)
कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

पृ0 क्र0 / 1353 / व.ले.लि. / 2024–25 सागर दिनांक 19.06.2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा.रा. परिक्षेत्र निर्माण भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी MORT&H निर्माण भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रा.रा. उपसंभाग छतरपुर की भेजकर लेख है कि आप व्यक्तिगत रूप से पन्ना टाईगर रिजर्व कार्यालय मे उपस्थित होकर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

सहपत्रः– शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर